(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला चौकी .एसीबी, अजमेर थाना सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष 2022

प्र इ रि स 208/22 दिनांक 27/5/2022

2 (अ) अधिनियम धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें

(स) अधिनियम धारायें

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 556 समय 3:15 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनाक 26.05.2022 समय 12.27 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.05.2022 समय 12.30 पीएम

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पूर्व 25 किमी

(ब) पता – तेजाजी चौक मदन गज किशनगढ जिला अजमेर जप्तायमदेही सं

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना जिला

6 परिवादी/सूचनाकर्ता –

(अ) नाम श्री कैलाश चन्द बाज्या

(ब) पिता का नाम श्री मुरली राम

(स) जन्म तिथि /वर्ष 31 साल

(द) राष्ट्रीयता भारतीय

(य) पासपोर्ट सख्या जारी होने की तिथी

जारी होने की जगह

(र) व्यवसाय प्राईवेट

(ल) पता . निवासी बदाल पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

7 ज्ञात/अज्ञात सदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री बद्री नारायण मीणा जाति मीणा उम्र 44 साल निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा तहसील आंधी पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का किशनगढ ए, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 20,000 रू0 रिश्वत राशि

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो) 20,000 रू0 रिश्वत राशि

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर।विषयः– रिश्वत मांगने कि शिकायत के संबध में महोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे रिश्तेदार वीरेन्द्र जी नेहरा कि "किंग ग्रेनाईट्स" के नाम से ग्राम रलावता में फैक्ट्री खोली जा रही है। मैं इस फैक्ट्री के समस्त कार्यों की देखभाल करता हूं। अधिकतर कार्य मेरे द्वारा ही किये जाते है।हमारे द्वारा गांव–रलावता के एरिया में ग्रेनाईट कि फैक्ट्री लगाने हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु हमारे द्वारा बैंक आफ इंडिया, जयपुर से लोन हेतु आवेदन किया है। जिसमे लोन स्वीकृति हेतु बैंक द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट और नामान्तरण रिपोर्ट (पी 21) चाही है। फर्म कि तरफ से मेरे द्वारा उक्त कागजात हेतु रलावता गांव के पटवारी श्री कमलेश कुमार मीणा से संपर्क किया गया। दिनांक 23.05.2022 को पटवारी व गिरदावर श्री आदेश जी हमारी फैक्ट्री पर आये तथा फैक्ट्री का निरीक्षण कर मेरे से पटवारी रिपोर्ट तैयार करने तथा नामांतरण रिपोर्ट (पी 21) देने के लिये पटवारी द्वारा 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।इस संबध मे मेरे द्वारा वीरेन्द्र जी से बात कि तो उन्होने हमारे सही काम के बदले मे रिश्वत नही देने का कहा। हमारे द्वारा आपके विभाग मे शिकायत करने का निर्णय लिया गया। मेरे द्वारा जरिये मोबाईल सूचना दी गई है। मै हमारे सही काम के बदले रिश्वत नही देना चाहता हूं। कृपया कानूनी कार्यवाही करें।
दिनांकः– 25.05.2022 प्रार्थी (कैलाश चन्द बाज्या) मोबाईल नं. 9414694039

<u>कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर कैम्प किशनगढ</u>

दिनांक 25.05.2022 समय 04.05 पीएम

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी कैलाश चन्द बाज्या पुत्र श्री मुरलीराम बाजिया उम्र 31 साल जाति जाट निवासी बदाल पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर मोबाईल नम्बर 9414694039 ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सम्बोधित करते हुये श्री त्रिलोक सिंह कानि0 नम्बर 24 को प्रस्तुत की,जो कानि द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द

27/5/22

Scanned with CamScanner

की। दर्ज रहे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि "परिवादी श्री कैलाश चन्द द्वारा मुझे जरिये मोबाईल सूचना दी गई कि पटवारी कमलेश मीणा पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ द्वारा उससे रिश्वत राशि मांगी जा रही है जिस पर कानि0 श्री त्रिलोक सिंह नम्बर 24 को परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु किशनगढ के लिये वायॅस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित समय 11.30 ए.एम. पर रवाना किया गया था। त्रिलोक सिंह कानि नम्बर 24 द्वारा जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया गया कि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित हो गई है रिश्वत राशि का आदान प्रदान आज ही समय करीब 5–6 बजे के मध्य होना है" अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस को निर्देश देने पर स्वतन्त्र गवाहो की तलबी अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर से जरिये तहरीर श्री गोविन्द सहाय कानि0 को भेजकर किये जाने पर स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार शर्मा औषधी निरीक्षक व श्री दिनेश चन्द शर्मा कार्यालय मे उपस्थित आये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर गवाहान से पूर्ण परिचय प्राप्त किया। प्राईवेट वाहन की तलबी की जाकर समय 03.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, मय श्रीमती मीरां बेनीवाल निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार शर्मा, दिनेश चन्द शर्मा, श्री चर्तुभुज सैन वरिष्ठ लिपिक, श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547, महिला कानि0 श्रीमती रूचि उपाध्याय नम्बर 321 (फिनोपथलीन पाउडर की शीशी सहित) मय लैपटॉप प्रिन्टर आदि के प्राईवेट वाहन से तथा हैड कानि0 श्री कैलाश चारण नम्बर 94 व श्री गोविन्द शर्मा कानि नम्बर 01 मेरे प्राईवेट वाहन से किशनगढ के लिये रवाना होकर श्री त्रिलोक सिंह कानि से जरिये मोवाईल सम्पर्क कर किशनगढ–रूपनगढ मार्ग पर पहुंचे जंहा त्रिलोक सिंह व परिवादी श्री कैलाश चन्द गोपनीय स्थान पर मौजूद मिले। त्रिलोक सिंह कानि ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार मै अजमेर से रवाना होकर जरिये बस किशनगढ आया तथा परिवादी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तथा हम दोनो हरमाडा चौराहा पर आपस में मिले। परिवादी ने समय 12.30 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को सम्बोधन शुदा प्रार्थना पत्र मुझे दिया। हम हरमाडा चौराहा से परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना होकर तेजाजी चौक स्थित पटवारी श्री कमलेश कुमार मीणा के प्राईवेट कार्यालय कक्ष के बाहर की तरफ पहुंचे। मैने वायॅस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को बाद आवश्यक समझाईश सुपुर्द किया। परिवादी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पटवारी के पास उसके प्राईवेट कार्यालय के लिये रवाना कर मै बाहर की तरफ ही वंहा पर मौजूद मन्दिर के आसपास मौजूद रहा। परिवादी बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेरे पास उपस्थित आया मैने वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि उसकी व पटवारी की बातचीत हुई जिसमें पटवारी द्वारा बीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई है। मेरे द्वारा गोपनीय स्थान पर जाकर वायॅस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज थी। परिवादी ने बताया कि हमारी फैक्ट्री पर गिरदावर साहब भी आये थे हो सकता है वो भी मेरे से रिश्वत की बात कर ले जो अभी रलावता गांव मे ही मिल सकते है। तत्पश्चात वंहा से रवाना होकर पंचायत भवन रलावता के पास पहुंच परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर दिया थोडी देर बाद परिवादी वापस मेरे पास आया तथा बताया कि गिरदावर साहब ने पैसो के सम्बन्ध मे बात करने से मना कर दिया है। मेरे द्वारा जरिये मोबाईल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को हालात अर्ज किये जिनके द्वारा बताया गया कि आगामी कार्यवाही हेतु डिप्टी साहब प्रभुलाल जी को भिजवा रहा हूं। तत्पश्चात दरियाफ्त पर परिवादी ने अवगत करवाया कि उसके रिश्तेदार श्री वीरेन्द्र जी नेहरा कि "किंग ग्रेनाईट्स" के नाम से ग्राम रलावता में फैक्ट्री खोली जा रही है। मैं इस फैक्ट्री के समस्त कार्यों की देखभाल करता हूं। हमारे द्वारा गांव–रलावता के एरिया में ग्रेनाईट कि फैक्ट्री लगाने हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारे द्वारा बैंक आफ इंडिया, जयपुर से लोन हेतु आवेदन किया है। जिसमे लोन स्वीकृति हेतु बैंक द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट और नामान्तरण रिपोर्ट पी 21 चाही हैं। मेरे द्वारा कागजात हेतु रलावता गांव के पटवारी श्री कमलेश कुमार मीणा से संपर्क किया गया। दिनांक 23.05.2022 को पटवारी व गिरदावर श्री आदेश जी हमारी फैक्ट्री पर आये तथा फैक्ट्री का निरीक्षण कर मेरे से पटवारी रिपोर्ट तैयार करने तथा नामांतरण रिपोर्ट पी 21 देने के लिये पटवारी द्वारा 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। मै हमारे सही काम के बदले रिश्वत नही देना चाहता हूं। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। पूछने पर बताया कि मेरी पटवारी से कोई रजिंश नही है हमारा कोई उधार का लेनदेन भी नही है। श्री त्रिलोक सिंह ने वायॅस रिकॉर्डर पेश किया जिसके मुख्य मुख्य अंश सुने गये । परिवादी श्री

23/5/22

Scanned with CamScanner

कैलाश चन्द बाज्या को रूबरू गवाहान के रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये पेश किये, जिनका विवरण अकिंत कर नोटो पर श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि द्वारा साथ लाये गये फिनोफथलीन पाउडर को श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि से उक्त नोटो पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री कैलाश चन्द की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोडते हुए उक्त पाउडरयुक्त नोट महिला कानि0 रूचि से रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द कार्यालय से साथ लाये लैपटॉप प्रिन्टर से तैयार की गई। महिला कानि. रूचित को अजमेर रवाना किया गया। परिवादी श्री कैलाश चन्द व श्री त्रिलोक सिंह कानि. को मय वायॅस रिकार्डर परिवादी की मोटर साईकिल से तेजा चौक किशनगढ के लिये आरोपी को रिश्वत देने हेतु हेतु रवाना कर हिदायत दी गई कि आरोपी पटवारी को रिश्वत देने हेतु भेजने से पहले वायॅस रिकॉर्डर चालू करके देवे। पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हैड कानि0 श्री कैलाश चारण तथा श्री गोविन्द शर्मा कानि0 मेरे प्राईवेट वाहन से, श्रीमती मीरां बेनीवाल, श्री शिव सिंह,स्वतन्त्र गवाहान सहित अन्य प्राईवेट वाहन से रवाना होकर मदनगंज किशनगढ स्थित तेजा चौक पहुंचा वाहनो को छुपाव हासिल करवाते हुये साईड मे खडा करवाया गया। परिवादी रिश्वत राशि देने हेतु गया परन्तु आरोपी पटवारी मौजूद नही मिला। आरोपी पटवारी का उसके प्राईवेट ऑफिस में होना ज्ञात होने पर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर कानि श्री त्रिलोक सिंह से सुपुर्द करवाया जाकर परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु तेजा चौक स्थित पटवारी के प्राईवेट कार्यालय के लिये रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये तेजा चौक मे स्थित मन्दिरो के आसपास मुकीम हुये। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि नही लेने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। परिवादी से रिश्वत राशि एक सफेद कागज के लिफाफे मे प्राप्त कर सुरक्षित रखी गई। बाद आवश्यक हिदायत परिवादी को रूख्सत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय अजमेर के लिये रवाना होकर चौकी अजमेर पर उपस्थित आया। रिश्वत राशि का लिफाफा व वायॅस रिकॉर्डर सुरक्षित रखे गये। गवाहो को रूख्सत कर दिनांक 26.05.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 26.05.2022 समय 10.20 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार शर्मा व दिनेश चन्द शर्मा के कार्यालय मे उपस्थित आने पर रिश्वत राशि का लिफाफा श्रीमती रूचि महिला कानि0 को सुपुर्द किया गया। वायॅस रिकॉर्डर कानि0 श्री त्रिलोक सिंह को सुपुर्द किया गया। समय 10.30 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र गवाह श्री विनोद कुमार शर्मा, दिनेश चन्द शर्मा, श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547, महिला कानि0 श्रीमती रूचि उपाध्याय नम्बर 321 (रिश्वत राशि सहित) मय प्राईवेट वाहन मय लैपटॉप प्रिन्टर आदि के प्राईवेट वाहन से तथा हैड कानि0 श्री कैलाश चारण नम्बर 94 , श्री गोविन्द शर्मा कानि नम्बर 01 तथा त्रिलोक सिंह मय वॉयस रिकॉर्डर के मेरे प्राईवेट वाहन से किशनगढ के लिये रवाना होकर_किशनगढ मे गोपनीय स्थान पर पहुंचा जंहा पर परिवादी के इन्तजार मे मुकीम हुआ। समय 11.20 ए.एम पर परिवादी के उपस्थित आने पर महिला कानि. रूचि द्वारा साथ लाये हुई रिश्वत राशि का मिलान पूर्व की फर्द पेशकशी से किया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। गवाह श्री दिनेश चन्द द्वारा परिवादी की तलाशी ली तो कोई आपत्ति जनक वस्तु नही मिली। परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रिश्वत राशि महिला कानि0 रूचि से रखवायी गई। रिश्वत राशि का आदान प्रदान का ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर करना समझाया गया यह ईशारा हमराहीयान को भी बताया गया। महिला कानि रूचि को एसीवी चौकी अजमेर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी श्री कैलाश चन्द व श्री त्रिलोक सिंह कानि. को मय वायॅस रिकार्डर परिवादी की मोटर साईकिल से तेजा चौक किशनगढ के लिये आरोपी को रिश्वत देने हेतु हेतु रवाना कर हिदायत दी गई कि आरोपी पटवारी को रिश्वत देने हेतु भेजने से पहले वायॅस रिकॉर्डर चालू करके देवे। पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हैड कानि0 श्री कैलाश चारण तथा श्री गोविन्द शर्मा कानि0 मेरे प्राईवेट वाहन से, श्री शिव सिंह कानि व स्वतन्त्र गवाहान सहित अन्य प्राईवेट वाहन से रवाना होकर मदनगंज किशनगढ स्थित तेजा चौक पहुंचे वाहनो को छुपाव हासिल करवाते हुये साईड मे खडा करवाया गया। परिवादी रिश्वत देने हेतु आरोपी पटवारी के पास गया। समय 12.27 पीएम पर परिवादी श्री कैलाश चन्द्र ने तेजाजी चौक स्थित आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय के बाहर की तरफ आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा

22/5/22

Scanned with CamScanner

किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टॉफ सहित अविलम्ब परिवादी के पास पहुँचा, जहां सफेद शर्ट व ब्ल्यू जींस पेंट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया। उक्त शख्स बाहर की तरफ जाने का प्रयास करने लगा जिसको हमराही जाप्ते की मदद से रोका गया। इसी दौरान परिवादी द्वारा पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉयस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया, जिसको बन्द किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा गया। आरोपी पटवारी को हमराह लेकर मय हमराहीयान के आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। परिवादी ने बताया कि पटवारी कमलेश कुमार मीणा ने मेरे से अभी एक प्रार्थना पत्र पटवारी रिपोर्ट प्राप्त करने बाबत प्राप्त कर मुझे अभी–अभी पटवारी रिपोर्ट दी है, जो मेरे पास मौजूद है। रिपोर्ट मुझे देने के पश्चात मेरे द्वारा पटवारी जी को इनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये दिये, जो रूपये लेकर इन्होंने अपने जींस पेंट में रखे है। तथा रूपये लेकर हम लोग साथ–साथ ही कार्यालय से बाहर की तरफ निकल रहे थे। तथा मेरे द्वारा आपकी टीम को देखकर रिश्वत राशि बाबत् ईशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शख्स को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत कराते हुए पूरा नाम पता व परिचय पूछा तो अपना नाम श्री कमलेश कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का किशनगढ ए, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर होना बताया। पटवारी श्री कमलेश कुमार मीणा को परिवादी की तरफ ईशारा कर रिश्वत प्राप्ति के संबंध में पूछने पर श्री कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि श्री कैलाश जी 3–4 दिन पहले मेरे पास आये थे, तथा रलावता स्थित किंग ग्रेनाईट की मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तथा संबंधित भूमी के नामांतरण पी–21 दर्ज करवाने हेतु आये थे। दिनांक 23.05.2022 को मैं हमारे गिरदावर जी श्री आदेश जी जौहरी के साथ रलावता गया था, तथा इनकी फैक्ट्री पर मौका देखने गया था। मौके पर निर्माण कार्य चल रहा था। मौका देखकर हम अन्य काम से कुचील चले गये थे। कल भी कैलाश जी मेरे प्राईवेट कार्यालय तेजाजी चौक आये तथा मौका रिपोर्ट के संबंध में बात की तो मैने कहा कि आपके वकील को क्या रिपोर्ट चाहिये वह बता दो। इस पर कैलाश जी ने कहा कि मैं अपने वकील से पूछकर आपको बता दूंगा। इसी दौरान मैंने मजाक में ही कह दिया था कि अपन एक क्षैत्र के ही है, इसलिए पहले 50,000 फिर 20,000 रूपये लेने की नहीं कहूंगा। आप क्षैत्र के हो, इसिलिए आपका काम वैसे ही कर दूंगा। आज कैलाश जी मेरे प्राईवेट ऑफिस तेजाजी चौक पर आये और मैने उनसे कहा कि पटवारी रिपोर्ट के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखकर दो। कैलाश जी ने एक प्रार्थना पत्र मुझे लिखकर दिया, जिसके संबंध में मेरे द्वारा मैसर्स किंग ग्रेनाईट रलावता के प्रतिनिधि कैलाश चन्द बाज्या द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में पटवारी रिपोर्ट तैयार कर इन्हें दे दी। मेरा व गिरदावर साहब आदेश जी का कुचील जाने का कार्यक्रम था, इसिलिये कार्यालय कक्ष से बाहर निकला, इसी दौरान मुझे साईड में ले जाकर अकेले में कैलाश चन्द ने मेरी पहनी हुई शर्ट की जेब में रूपये रखने का प्रयास किया। मैंने आनाकानी की तो कैलाश ने मेरी पहनी हुई जींस में रूपये रख दिये। फिर मेरे द्वारा उन रूपयों को कैलाश को वापिस देने का प्रयास किया गया, परन्तु कैलाश मेरे पास से चला गया। मैं कैलाश के पास पहुँचता इतनी देर में आप लोग आ गये। मौके पर मौजूद परिवादी श्री कैलाश चन्द ने श्री कमलेश कुमार मीणा पटवारी के उक्त कथन का स्वतः खण्डन करते हुए बताया कि पटवारी जी झूठ बोल रहे है। इनके द्वारा कल दिनांक 25.05.2022 को मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। तथा कल शाम को जब मैं इन्हें रिश्वत राशि देने आया तब इन्होंने आज रूपये देने का कहा था। आज मैं इनके पास आया। इनके कहे अनुसार मैंने प्रार्थना पत्र पटवारी रिपोर्ट बाबत् किंग ग्रेनाईट की तैयार कर देने हेतु प्रस्तुत किया। पटवारी जी द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी रिपोर्ट तैयार की तथा मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। इनकी मांग के अनुसार मैंने इन्हें रिश्वत राशि 20,000 रूपये दिये, जो इन्होंने बिना गिने अपनी पहनी हुई शर्ट में रखने का प्रयास किया, जिसमें पहले से ही चश्मा आदि होने के कारण पटवारी जी ने रिश्वत राशि 20,000 रूपये अपनी पहनी हुई जींस पेंट की पीछे की जेब में रख लिये। हम लगभग साथ–साथ ही पटवारी जी के कार्यालय से बाहर की तरफ आये तथा आपकी टीम को देखकर मैंने ईशारा कर दिया। मैं जब पटवारी जी के पास आया तब गिरदावर श्री आदेश जी भी उस कार्यालय में बैठे हुए थे। तथा दो अन्य आदमी भी वहां पर बैठे हुए थे। मौके पर एक शख्स जिसने ब्ल्यू जींस व हल्का आसमानी शर्ट पहने हुए तथा दाढी मूंछ रखे हुए व्यक्ति भी मौजूद है, के संबंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि ये ही आदेश जी गिरदावर साहब है। परिवादी ने आगे बताया कि पटवारी जी श्री कमलेश कुमार मीणा जी अपनी कुर्सी से रवाना होने के लिये उठ रहे थे तो मैंने इन्हें बाहर की तरफ आने का ईशारा किया तथा कार्यालय कक्ष के बाहर की तरफ जाकर इन्हें रिश्वत राशि दे दी थी, आदेश जी कक्ष के अन्दर ही बैठे हुए थे। तत्पश्चात् आरोपी पटवारी से पुनः पूछने पर अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। उक्त प्राईवेट कार्यालय के संबंध में पूछने पर पटवारी ने बताया कि मेरे पास किशनगढ ए व रलावता के

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त चार अन्य पटवार हल्का कुचील, श्री निम्बार्क तीर्थ, किशनगढ बी व सांवतसर का अतिरिक्त चार्ज भी मेरे पास ही है, इस कारण मैं यहां पर श्री सत्यनारायण जी शर्मा जो मेरे पुराने परिचित है, से निःशुल्क एक कमरा ले रखा है, जिसका उपयोग मैं मेरे कार्यालय के रूप में करता हूँ। पटवारी श्री कमलेश कुमार मीणा से रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की पीछे की बांयी जेब में होना बताया, जिस पर पटवारी द्वारा उपयोग किये जा रहे कमरे में बैठकर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई तथा ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर उक्त कक्ष मे रखी मटकी से दो साफ कांच के गिलासों को पुनः साफ करवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री कमलेश कुमार मीणा के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर सभी ने दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा होना बताया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को मार्क कमंशः आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री कमलेश कुमार मीणा की निशादेही से उसकी पहनी ब्ल्यु जींस पेंट की पीछे की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री दिनेश चन्द शर्मा से लिवायी गयी तो पहनी हुई जींस पेंट की पीछे की बांयी जेब मे से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना गवाह द्वारा बताया गया। जिनका मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनों गवाहान से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना बताया गया। जिनका विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6 BE 079261
2	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 LS 934758
3	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 KN 967636
4	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9 VH 525182
5	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4 AN 416585
6	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4 HT 720861
7	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0 RP 515249
8	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0 HL 282138
9	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0 FQ 805482
10	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 NH 325578
11	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0 RE 519013
12	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6 QN 095209
13	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9 LV 103463
14	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 GW 811320
15	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	3 HQ 981696
16	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4 FA 542370
17	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6 AK 546179
18	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9 EM 716475
19	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 GR 608609
20	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 AG 564507
21	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7 SE 662064
22	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 FR 913297
23	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9 DM157642

Scanned with CamScanner

24	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 AT 156731
25	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0 FG 678032
26	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 RL 802110
27	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 LL 997725
28	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 MA 568484
29	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6 CB 024364
30	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 FK 740154
31	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6 FN 672803
32	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	8 QL 767260
33	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9 BQ 618100
34	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9 MG 144321
35	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 QD 312266
36	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7 KU 066097
37	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4 TP 038092
38	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2 DF 677253
39	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1 GH 720220
40	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0 KV 351089

उक्त बरामदशुदा नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपी के लिये एक लोअर व टीशर्ट की व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुई जींस पेंट व शर्ट को ससम्मान उतरवाया गया, तथा उक्त लोअर टीशर्ट पहनाये गये। तत्पश्चात एक साफ गिलास को पुनः साफ कर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उपरोक्तानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में आरोपी की उक्त जींस पेंट बरंग ब्ल्यू की पीछे की बांयी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जींस पेंट की जेब मे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जींस पेंट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क 'पी' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात एक साफ गिलास को पुनः साफ कर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उपरोक्तानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में आरोपी की उक्त सफेद शर्ट के उपर की बांयी जेब को उलटवाकर घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग झांईनुमा हो गया, जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क एस–1, एस–2 अंकित कर संवन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। शर्ट की उपर की बांयी जेब पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क 'एस' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थेली को कब्जे एसीवी लिया गया। इसी दौरान परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी को दी गई पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका अवलोकन किया गया तो उस रिपोर्ट में पटवारी रिपोर्ट मैसर्स किंग ग्रेनाईट्स रलावता के प्रतिनिधि कैलाश चन्द बाज्या द्वारा पेश प्रार्थना पत्र की जांच अनुसार ग्राम रलावता के खसरा नं. 949 जो कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के आदेश कमांक 13/1017 दिनांक 12.03.2013 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन दर्ज हो रखी है। खसरा नं. 949 में औद्योगिक भूखण्ड संख्या 14 में मैसर्स किंग ग्रेनाईट्स भूखण्ड संख्या 14 खसरा नं. 939 एवं 949 कय किया हुआ है। मौके पर इस भूखण्ड में औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्माणकार्य चल रहा है। उक्त रिपोर्ट पर पटवारी श्री कमलेश कुमार के हस्ताक्षर होकर दिनांक 26.05.022 अंकित की जाकर सील मोहर लगी हुई है। तथा परिवादी कैलाश के हस्ताक्षर होकर दिनांक का अंकन है। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीवी लिया गया। परिवादी श्री कैलाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संवंध में पूछने पर आरोपी कमलेश कुमार मीणा द्वारा अपने कुर्सी के पीछे बनी रैक में से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो परिवादी कैलाश द्वारा रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व पटवारी रिपोर्ट

Scanned with CamScanner

चाहने हेतु आरोपी पटवारी को प्रस्तुत किया गया था, जिसका अवलोकन किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीवी लिया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा नामांतरण पी–21 हेतु पटवारी जी को हमारी फैक्ट्री से संबंधित रजिस्ट्री व संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति भी दी थी, जिसके आधार पर पी–21 रजिस्टर में ऑफलाईन नामांतरण की कार्यवाही की जानी थी। परिवादी के उक्त कथन के संबंध में आरोपी पटवारी ने बताया कि उक्त भूखण्ड का औद्योगिक उपयोग हेतु संपरिवर्तन हो चुका है, जिसके ऑफलाईन नामांतरण की प्रकिया हेतु इन्होंने मुझे संबंधित विकय पत्र व संपरिवर्तन की छायाप्रति दी थी, जो मेरे पास इस कक्ष में ही रखी हुई है। आरोपी पटवारी द्वारा अपनी टेबल व कुर्सी के पीछे की तरफ बनी रैक में से एक पंजीयन विकय पत्र व एक संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसको अवलोकन किया गया तो उक्त विकय पत्र राजस्व गांव रलावता के औद्योगिक क्षैत्र खसरा नं. 939 व 949 से संबंधित है। तथा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर का संपरिवर्तन आदेश कमांक 117 दिनांक 12.03.2013 जो उक्त भूखण्डों के संपरिवर्तन से संबंधित है। पंजीयन विकयपत्र पृष्ठ 1 से 15 की छायाप्रतियां के प्रथम व अंतिम पेज संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति पर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मौके पर उपस्थित श्री आदेश कुमार जौहरी, भू अभिलेख निरीक्षक, रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर से पूछताछ की गई तो श्री आदेश कुमार ने बताया कि दिनांक 23.05.2022 को मैं पटवारी श्री कमलेश कुमार मीणा के साथ ग्राम आबादी के सर्वे हेतु कुचील जा रहे थे। इसी दौरान कैलाश चन्द बाज्या से संबंधित किंग ग्रेनाईट्स फैक्ट्री की मौका जांच हेतु रलावता भी गये थे। पटवारी द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। उस दिन मौके पर कैलाश चन्द व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी उस फैक्ट्री पर मौजूद था। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग कैलाश चन्द से नहीं की गई थी, क्योंकि पटवारी रिपोर्ट का काम मेरा नहीं था। मौका जांच कर हम वहां से कुचील चले गये थे। कल दोपहर में कैलाश चन्द मेरे पास रलावता आया था। तब वह मेरे से रूपयों पैसों की बात कर कुछ कम करवाने की कह रहा था, तो मैंने कहा था कि यह मेरे स्तर का काम नहीं है। पटवारी के लेवल का काम है। मैं पटवारी से बात कर लूंगा। कैलाश चन्द द्वारा दुबारा रूपयों की बात की तो मैंने कहा कि पैसे की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई है। मौके पर मौजूद परिवादी ने बताया कि यह बात सही है कि कल गिरदावर जी ने मेरे से पैसों की कोई बात नहीं की थी। समस्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री कमलेश कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का किशनगढ ए, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। परिवादी की निशादेही से रूबरू गवाहान घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अजमेर पहुंच कर जब्त शील्ड शुदा आर्टिकल मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 27.05.2022 को परिवादी श्री कैलाश चन्द बाज्या तथा गवाहान श्री विनोद कुमार शर्मा व श्री दिनेश चन्द शर्मा के कार्यालय मे उपस्थित आने पर वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मेरी अलमारी मे से निकाला जाकर रूबरू गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता की दो डीवीडी तैयार की गयी। दोनो डीवीडी को पृथक पृथक बिना शिल्ड कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड के उसी पैकिंग कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क "एम" अंकित किया गया। सफेद कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। जब्तशुदा मैमोरी कार्ड व आरोपी की डीवीडी को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री कमलेश कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का किशनगढ ए, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री कैलाश चन्द बाज्या से संबंधित फैक्ट्री जो राजस्व ग्राम रलावता तहसील किशनगढ में खसरा नं. 949 में औद्योगिक भूखण्ड संख्या 14 में किंग ग्रेनाईट्स के नाम से निर्माणाधीन है। उक्त फैक्ट्री की मौके की पटवारी रिपोर्ट करने तथा नामांतरण पी–21 ऑफलाईन दर्ज करवाने की एवज में दिनांक 25.05.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिश्वत राशि 20,000 रूपये की मांग आरोपी द्वारा परिवादी से की गई। आरोपी पटवारी की मांग के अनुसरण में आज दिनांक 26.05.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही

22/5/22

Scanned with CamScanner

आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20,000 रूपये प्राप्त किये, जो रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई जींस पेंट की पीछे की बांयी जेब से बरामद हुए है। आरोपी के हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा तथा पहनी हुई धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री कमलेश कुमार मीणा का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया गया हैं।

अतः आरोपी श्री कमलेश कुमार मीणा, पटवारी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे प्रेषित है।

27/5/2022

(प्रभुलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
अजमेर

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री कमलेश कुमार मीणा, पटवारी, पटवार हल्का किशनगढ़ ए, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रलावता, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 208/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1843-47 दिनांक 27.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

27.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।